FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सन्तो **बनाम** बिरमा आदि

अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी नम्बर 78 सन् 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर २०२२/312

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.11.2022	आज यह पत्रावली सन्तो पुत्री लक्ष्मणराम पुत्र हीराराम पत्नी त्रिलोकाराम जाति बावरी निवासी चक 4 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर की ओर अधिवक्ता श्री मदन लाल पटीर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 09/2022 अनवान संतो बनाम बिरमा आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में तारीख पेशी 27.07.2022 का प्रार्थिया को कोई ज्ञान नहीं था ना ही वादिया के अधिवक्ता द्वारा उक्त तारीख पेशी की वादिया को कोई सूचना दी गई थी। इस कारण वादिया उक्त प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो सकी थी। प्रार्थिया की आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण प्रार्थिया अपने अधिवक्ता को फीस जमा नहीं करवा सकी थी। इसलिए प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा जानबुझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। इसलिए वादीगण का वादपत्र इसी स्तर पर रिस्टोर किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर (प्रत्यावर्तित) लिया जाकर प्रार्थीगण को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कराने की अनुज्ञा प्रदान की जावे। प्रस्तुंत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 27.07.2022 को प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया है। प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज पर है। प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना है। जिसे रिस्टोर किया जाना न्योचित है। प्रकरण रिस्टोर किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रकरण पुराने नम्बर पर [illegible] जावे। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Subhash Chandra Date: 2022.12.13 11:13:12 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते	